क्रम-संख्या–164(ख)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी० / 91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 3 अक्टूबर, 2025

आश्विन 11, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग–2

संख्या 1771 / ग्यारह-2–25-9(47)-17-टी0सी0-297-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(363)-2025

लखनऊ, 3 अक्टूबर, 2025

शुद्धि-पत्र

प0आ0–171

राज्य कर अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-1706 / ग्यारह-2–25-9(47)-17-टी0सी0-291-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(352)-2025, दिनांक 20 सितम्बर, 2025 में,-

(i) पृष्ठ संख्या 1, पंक्ति 17 एवं 18 तथा पृष्ठ संख्या 2, पंक्ति 14 एवं 15 में, ''स्थानीय वितरण'' के स्थान पर ''स्थानीय डिलीवरी'' पढ़ें;

आज्ञा से,

एम0 देवराज,

प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 208 राजपत्र–2025–(623)–599 प्रतियां (डी0टी0पी / ऑफसेट)।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 19 सा0 राज्य कर–2025–(624)–500+500=1000 प्रतियां (डी0टी0पी0 / ऑफसेट)।